न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 44 / 2022
अनवान
गौतमचंद बनाम सरकार

दिनांक 21–2–2022

उक्त पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर से सुनवाई हेतु स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर की गई । वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश कमांक प्रगांसं/2021/ 600 दिनांक 6–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । वकील अपीलांट को सुना गया । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार आऊ की ओर से ग्राम आऊ एवं गोरछिया बेरा के विभिन्न खसरा नंबरान मे चल रहे कदीमी रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने बाबत प्रस्ताव एकतरफा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत किये गये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार आऊ द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबे को गै0मु0रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 एवं 136 का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी के खातेदारी खेत ग्राम आऊ के खसरा नंबर 293 मे से कोई रास्ता नही चलता है और न ही कभी किसी ने रास्ते की कोई मांग ही की है क्योंकि खसरा नंबर 292 एवं 311 मे से पहले ही रास्ता कटाणी रूप मे चल रहा है इसलिए किसी भी काश्तकार को रास्ते की आवश्यकता नही थी ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबर 293 मे से गै0मु0रास्ता दर्ज करने की सूचना या सुनवाई का अवसर अपीलांट को नही दिया तथा यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट एवं खसरा नंबर 293 के अन्य खातेदारान की गैर मौजुदगी मे एकतरफा मौका रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार आऊ के समक्ष प्रस्तुत की तथा तहसीलदार आऊ नें बिना मौका निरीक्षण किये अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार हु–ब–हु प्रस्तावित रास्ते के रकबे को

21/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

गै0मु0रास्ते के रूप मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट के खसरा नंबर 293 ग्राम आऊ की सम्पूर्ण भूमि सिंचित भूमि है जिस पर वर्तमान मे राईडे की फसल खडी है जिसका बहस के दौरान फोटोग्राफ भी पेश किया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभियान मे राज्य सरकार के जिस परिपत्र को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह परिपत्र केवल उन पगडंडियो पर लागू होता है जो पगडंडिया असिंचित भूमि मे चलती है तथा जिनका उपयोग केवल वर्षाति खेती के लिए किया जाता है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रावधान पर गौर किये बिना केवल उनके समक्ष प्रस्तुत एकतरफा प्रस्ताव के अनुरूप अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपील पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार आऊ द्वारा प्रेषित प्रस्तावित रास्तो के प्रस्ताव मय पत्रादि एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–12–2021 का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत अपील के साथ अपीलांट अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया । अपील पत्रावली मे ग्राम आऊ के खसरा नंबरान 312, 312/1, 310, 310/1, 321/2, 321/1, 320/1, 320/2 एवं 293 तथा ग्राम गोरछियाबेरा के खसरा नंबरान 313, 314, 206, की भूमि मे से मौके पर चल रहे प्रचलित रास्तो का प्रस्ताव जो पटवारी एवं निरीक्षक भू अभिलेख द्वारा तैयार का तहसीलदार (भू0अ0) आऊ के हस्ताक्षर से उनकी अभिशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष दिनांक 12–11–2021 को प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट ने बिना खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना खातेदारो की सहमति के ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप हु–ब–हु प्रस्तावित रकबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के अनुरूप नहीं होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

21/12/22
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार आऊ द्वारा प्रस्तुत रास्ते के प्रस्ताव को धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित कर दिया परंतु किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये सीधे ही उनकी खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए तथा प्रस्तावित रकबे की किस्म खातेदारी मे से गै0मु0रास्ता के रूप मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक/प्रगांस/2021/ 600 दिनांक 6–12–2021 मे से अपीलांट के ग्राम आऊ के खसरा नंबर 293 मे से प्रस्तावित गै0मु0 रास्ते का रकबा 0.2205 हेक्टेयर के संबंध मे पारित किया गया आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की उपस्थिति मे उसके खातेदारी खेत मे चल रहे कदीमी/चालू रास्ते के संबंध मे मौका निरीक्षण कर, उसे विधिवत सुनकर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबर की भूमि मे से कोई रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है, तो उसे बंद किये बिना प्रस्ताव पृथक से बनाकर उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत करे तथा उपखण्ड अधिकारी लोहावट उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

21/12/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर